प्रश्न-1. भारत में संसद और राज्य विधानमंडलों के कार्यों में बार-बार होने वाले व्यवधानों के विभिन्न कारणों की व्याख्या करें। (8 अंक)

उत्तर:

भूमिका

पिछले शीतकालीन सत्र में लगातार व्यवधानों के कारण लोक सभा और राज्य सभा की उत्पादकता क्रमशः 54.5% और 40% रही। इस समस्या में कई कारक योगदान देते हैं, जो विधायिका के सुचारु कामकाज को प्रभावित करते हैं।

1. राजनीतिक रूप से संवेदनशील और विवादास्पद मुद्दे

- राजनीतिक रूप से उत्तेजक मुद्दों को उठाने से अक्सर नारेबाजी, बहिष्कार और व्यवधान होते हैं।
  उदाहरण: एक कॉर्पोरेट समूह के खिलाफ आरोपों के कारण संसद की कार्यवाही ठप हो गई।

2. पक्षपात और पूर्वाग्रह के आरोप

- सदन के अध्यक्षों पर अक्सर सत्तारूढ़ पार्टी के पक्ष में झुकाव रखने का आरोप लगता है, जिससे सदन में अविश्वास और अव्यवस्था फैलती है।

3. प्रभावी राजनीतिक सहभागिता का अभाव

- विधानमंडल के बाहर राजनीतिक दलों के बीच रचनात्मक संवाद और आम सहमति के अभाव के परिणामस्वरूप सदन के भीतर टकराव पैदा होता है।

4. राजनीतिक प्रचार का मंच

- राजनीतिक दल अक्सर विधायी सत्रों का उपयोग अपने एजेंडे को बढ़ावा देने के लिए करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप गंभीर बहस की बजाय व्यवधान होते हैं।

5. सरकार द्वारा चर्चा के लिए समय देने से इनकार

- सत्तारूढ़ सरकार कभी-कभी विपक्षी दलों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर चर्चा के लिए समय देने से मना कर देती है, जिससे विरोध प्रदर्शन होते हैं।
  उदाहरण: उत्तर प्रदेश विधानसभा ने कुंभ मेले के दौरान हुई भगदड़ पर चर्चा करने से मना कर दिया था।

6. संसदीय मानकों एवं मूल्यों में गिरावट

- अनुशासन और शिष्टाचार का क्षरण होने के कारण बार-बार व्यवधान उत्पन्न होते हैं।
  उदाहरण: बहस में साम्प्रदायिक अपशब्दों और गालियों का उपयोग।

भविष्य की राह

विधायिकाओं के उचित संचालन को सुनिश्चित करना प्रभावी कानून निर्माण और शासन के लिए आवश्यक है। विधायी समितियों को मजबूत करना मतभेदों को हल करने और सुचारु कार्यवाही सुनिश्चित करने में मदद कर सकता है।

निष्कर्ष

इस प्रकार, संसदीय अनुशासन, रचनात्मक संवाद और समितियों को मजबूत करना प्रभावी शासन और एक कार्यशील लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए आवश्यक है।

प्रश्न-2.भारत में उच्चतर न्यायपालिका में नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली के तीन गुण एवं दोषों का उल्लेख करें।
(8 अंक)

उत्तर:

भूमिका

कॉलेजियम प्रणाली सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण के लिए जिम्मेदार है। इसे द्वितीय एवं तृतीय न्यायाधीश मामले (1993, 1998) के माध्यम से स्थापित किया गया था और यह संविधान में उल्लेखित नहीं है। इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों में न्यायधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण के लिए जिम्मेदार होते हैं।

कॉलेजियम प्रणाली के लाभ

1. **न्यायिक स्वतंत्रता** - यह न्यायिक नियुक्तियों में कार्यपालिका के हस्तक्षेप को रोकता है, जिससे शक्ति के पृथक्करण (अनुच्छेद 50) को सुनिश्चित किया जाता है।
2. **विशेषज्ञ निर्णय**-निर्माण - वरिष्ठ न्यायाधीश उम्मीदवारों का मूल्यांकन करते हैं, जिससे मेधा-आधारित चयन प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है।
3. **न्यायपालिका में स्थिरता** - सरकार को कॉलेजियम की पुनरुक्ति सिफारिश को स्वीकार करना पड़ता है [अनुच्छेद 124(2), सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड बनाम भारत संघ, 1993]।

कॉलेजियम प्रणाली की हानियां

1. **पारदर्शिता की कमी** - कोई सार्वजनिक उत्तरदायित्व नहीं होता, जिसके कारण पक्षपातपूर्ण होने के आरोप लगते हैं।
2. **विधायी निगरानी का अभाव** - अमेरिकी सीनेट की पुष्टिकरण प्रक्रिया के विपरीत, यह संसदीय जांच के अधीन नहीं है।
3. **असंवैधानिक उत्पत्ति** - इसका विकास लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को दरकिनार करते हुए न्यायिक व्याख्याओं के माध्यम से हुआ है।

निष्कर्ष

न्यायिक नियुक्ति आयोग जैसे सुधार न्यायिक स्वतंत्रता को संरक्षित करते हुए पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार कर सकते हैं।

ChronicleIas

प्रश्न-3. दबाव समूहों की भूमिका पर एक आलोचनात्मक टिप्पणी लिखें। वे शासन उपायों के समर्थन में एक प्रभावी उपकरण कैसे बन सकते हैं? (12 अंक)

उत्तर:

भूमिका

दबाव समूह संगठित समूह होते हैं जो चुनाव लड़े बिना विशिष्ट मुद्दों पर सरकारी नीतियों और जनमत को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। वे राज्य और नागरिकों के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करके लोकतांत्रिक शासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

दबाव समूहों की भूमिका का आलोचनात्मक विश्लेषण

1. **अत्यधिक प्रभाव** - कुछ दबाव समूह शक्तिशाली हित समूहों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो सार्वजनिक कल्याण की कीमत पर राजनीतिक प्रभाव डालते हैं।
   उदाहरण: ट्रेड यूनियनों और व्यापार लॉबी समूहों द्वारा श्रम कानूनों या कॉर्पोरेट नीतियों पर प्रभाव डालना।
2. **वित्तीय और संगठनात्मक शक्ति** - संपन्न समूह अधिक प्रभाव डालते हैं, जिससे लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व विकृत हो सकता है।
   उदाहरण: सुरक्षा थिंक टैंक और निजी रेटिंग एजेंसियों द्वारा राष्ट्रीय नीतियों पर प्रभाव डालना।
3. **विघटनकारी रणनीतियां** - दबाव समूहों द्वारा हड़तालें, नाकेबंदी और प्रदर्शन सार्वजनिक असुविधा का कारण बन सकते हैं।
   उदाहरण: परिवहन हड़तालें जो दैनिक जीवन को प्रभावित करती हैं।
4. **आंतरिक लोकतंत्र की कमी** - निर्वाचित नहीं होने वाले, शक्तिशाली नेता निर्णय लेने में हावी हो सकते हैं, जिससे सदस्यों के हितों की उपेक्षा होती है।

शासन में दबाव समूहों की प्रभावशीलता

1. **सरकार और नागरिकों के बीच सेतु के रूप में** - ये सार्वजनिक समर्थन जुटाते हैं और शासन उपायों पर संवाद को सुविधाजनक बनाते हैं।
2. **नीतिगत इनपुट एवं विशेषज्ञता** - दबाव समूह नीति निर्माताओं को विशिष्ट ज्ञान प्रदान करते हैं।
   उदाहरण: भारतीय चिकित्सा संघ (IMA) द्वारा स्वास्थ्य नीतियों पर प्रभाव डालना।
3. **वैकल्पिक सलाहकार भूमिका** - वे नौकरशाही सलाह के प्रभाव को संतुलित करते हुए एक वस्तुनिष्ठ और स्वतंत्र दृष्टिकोण प्रदान करते हैं।
   उदाहरण: ऊर्जा, पर्यावरण एवं जल परिषद (CEEW) द्वारा पर्यावरणीय नीतियों को आकार देना।

निष्कर्ष

दबाव समूह सहभागिता आधारित लोकतंत्र को बढ़ावा देते हैं, सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करते हैं और नीति निर्माण में जनचिंताओं को दर्शाते हैं, जिससे ये प्रभावी शासन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बन जाते हैं।

Chanakya IAS

प्रश्न-4. मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया में हालिया बदलावों की जांच करें। इन बदलावों के संबंध में कौन से मुद्दे उठाए गए हैं? (12 अंक)

उत्तर:

भूमिका

मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और अन्य चुनाव आयुक्तों (ECs) की नियुक्ति प्रक्रिया में मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा शर्तें और कार्यकाल) अधिनियम, 2023 के माध्यम से महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं।

नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव

1. **सर्च कमेटी का गठन** - विधि मंत्रालय एक खोज समिति (सर्च कमेटी) बनाएगा, जिसकी अध्यक्षता कानून मंत्री करेंगे। यह समिति 5 उम्मीदवारों का पैनल तैयार करेगी।
2. **चयन समिति की संरचना** - इसमें प्रधानमंत्री, एक कैबिनेट मंत्री और विपक्ष के नेता शॉर्टलिस्ट किए गए नामों में से या किसी अन्य व्यक्ति का चयन करेंगे।
   - मुख्य न्यायाधीश (CJI) को समिति से हटाया गया है।
3. **योग्यता** - उम्मीदवारों को केंद्र सरकार में सचिव स्तर के समकक्ष पद पर होना चाहिए
4. **लचीलापन** - सरकार चुनावों के बाद पिछली सरकार के निर्णयों में संशोधन कर सकती है।

इस संबंध में उठाए गए मुद्दे

1. **कार्यपालिका का वर्चस्व** - तीन सदस्यीय चयन समिति में सरकार को 2:1 बहुमत प्राप्त है, जिससे ECI की स्वतंत्रता प्रभावित हो सकती है।
2. **सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का उल्लंघन** - यह अधिनियम अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ (2023) के तहत संविधान पीठ द्वारा स्थापित सिद्धांतों के विपरीत है।
3. **कार्यपालिका का अनियंत्रित प्रभाव** - चयन समिति में कोई पद रिक्त होने पर भी इसकी सिफारिशें मान्य रहेंगी, जिससे निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है।
4. **नौकरशाही का बढ़ता प्रभाव** - खोज समिति में नौकरशाहों की प्रमुख भूमिका चयन प्रक्रिया को एकतरफा बना सकती है।
5. **सीमित योग्यता मानदंड** - CEC और ECs को अर्ध-न्यायिक कार्य भी करने होते हैं, जिसके लिए संवैधानिक और कानूनी विशेषज्ञता आवश्यक है।

निष्कर्ष

चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए पारदर्शी और संतुलित नियुक्ति प्रक्रिया आवश्यक है, जैसा कि दिनेश गोस्वामी समिति और विधि आयोग की 255वीं रिपोर्ट (2015) में सिफारिश की गई थी।

Chronicle ias

प्रश्न-5. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्यों और संरचना का वर्णन करते हुए इसकी सीमाओं का विश्लेषण कीजिए। (12 अंक)

उत्तर:

भूमिका

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) को 1993 में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम (PHRA) के तहत स्थापित किया गया था, जिसका उद्देश्य भारत में मानवाधिकारों को बढ़ावा देना और उनकी रक्षा करना है।

NHRC के कार्य

1. **शिकायतों की जांच:** NHRC लोक सेवकों द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन की शिकायतों की जांच करता है।
2. **न्यायालय में हस्तक्षेप:** यह मानवाधिकार उल्लंघन से संबंधित मामलों में न्यायालय की मंजूरी से हस्तक्षेप कर सकता है।
3. **नजरबंदी की स्थितियों की निगरानी:** यह जेलों और अन्य संस्थानों का दौरा कर वहां रहने की स्थितियों का निरीक्षण करता है और सुधार की सिफारिश करता है।
4. **सुरक्षा उपायों की समीक्षा:** NHRC मौजूदा कानूनों और संविधानिक सुरक्षा उपायों की समीक्षा करता है ताकि मानवाधिकारों की रक्षा सुनिश्चित हो सके।
5. **मानवाधिकार शिक्षा का प्रचार:** NHRC मानवाधिकारों पर अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देता है।

NHRC की संरचना

1. **अध्यक्ष:** इसके अध्यक्ष या तो भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश होते हैं।
2. **सदस्य:** इसमें 5 पूर्णकालिक सदस्य और 7 मानद सदस्य होते हैं, जिनमें मानवाधिकारों के मामलों में अनुभव रखने वाले व्यक्ति और विभिन्न आयोगों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं, जैसे NCW, NCSC, आदि।

NHRC की सीमाएं

1. **कार्यवाही लागू करने का अधिकार नहीं:** NHRC केवल सिफारिशें कर सकता है, लेकिन उन्हें लागू करने का अधिकार नहीं है।
2. **सेवानिवृत्ति के बाद प्रभाव:** सेवानिवृत्त न्यायधीशों, अधिकारियों और नौकरशाहों का राजनीतिक प्रभाव NHRC की प्रभावशीलता को कमजोर कर सकता है।
3. **समय-बाधित शिकायतें:** घटना के एक वर्ष बाद की गई शिकायतों पर विचार नहीं किया जाता, जिससे कई वास्तविक शिकायतें अनसुलझी रह जाती हैं।
4. **सैन्य बलों पर सीमित अधिकार:** NHRC को सैन्य बलों द्वारा मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों में सीमित अधिकार प्राप्त है।
5. **संसाधनों की कमी:** रिक्तियों और अपर्याप्त वित्तीय संसाधनों के कारण NHRC की कार्यशीलता में रुकावट आती है।

निष्कर्ष

NHRC की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए इसके पास सिफारिशों को लागू करने का अधिकार, सदस्यता में अधिक विविधता, और स्वतंत्र भर्ती प्रक्रिया होनी चाहिए